

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दोसा (राज.)

मु.न. 311/18

सरकार

बनाम

श्री: 23223 510 जफाली

वर्क जोगी का 9मीन

किरम मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 22.2.18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री 23223 पुत्र श्री जफाली जाति जोगी निवासी कमीन तहसील महवा ने संवत् 2074 फसल रावे / खसीक में ग्राम कमीन की राजकीय आराजी खसरा नं. 331 रकबा 14.58 किस्म 23223 भूमि से 6.10 रकबा पर अनाधिकृत रूप से 311695 कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है। भूमि के वार्षिक लगान रुपये 4.40 50 का गुन 2220/राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाना है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वंसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकगील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*[Signature]*  
तहसीलदार

महवा जिला दोसा

रजिस्टर मा/व के फाइल नं. 27 पर  
वर्ष 2017-18 की शास्ति  
की अ  
दिनांक : 5/3/18  
226 नं.  
Post  
सहायक  
तहसील-महवा